:: आदेश ::

उप जिलाधिकारी, पुरोला के पत्र संख्या 1959/आ0ले0-विविध जांच पत्रा0/2017 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियंता परियोजना ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 167/Red(D)/UPCL/2017-18/Forest दिनांक 24.05.2017 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की मोरी तहसील के अविद्युतीकृत ग्राम सालरा के विद्युतीकरण के लिये वन विभाग पुरोला से ली गई 4.25 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी 8.50 हे0 सिविल भूमि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावक विभाग के इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार मोरी ने ग्राम सालरा में विधुतीकरण हेतु ली गयी वन विभाग की भूमि के बदले दी जाने वाली दोगुनी क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में ग्राम जिवाणू में दिनांक 14.10.2017 को राजस्व उप निरीक्षक मोरी/गड़ूगाड एवं वन विभाग से नियुक्त कर्मचारीगणों द्वारा स्थल पर जाकर खसरा संख्या 373 रकबा 1.905, खसरा संख्या 393 म. रकबा 6.600 खसरा सं0 391 म. रकबा 0.035 हे0 कुल रकबा 8.540 हे0 भूमि उपयुक्त पायी गयी ।प्रश्नगत भूमि का नक्शा, खसरा खतौनी की प्रति तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। प्रस्तावित भूमि समतल एवं टिकाऊ है तथा भूमि पर ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत का कोई ऐतराज नही है। ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा ग्राम सभा की ओर से सहमति पत्र दिया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उपरोक्त के सम्बन्ध में याचक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 167/Red(D)/UPCL/2017-18/Forest दिनांक 24.05.2017 के द्वारा 8.50 हे0 की मांग की गयी है तथा याचक विभाग की मांग अनुसार ही विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि दी जानी है। उप जिलाधिकारी, पुरोला/तहसीलदार मोरी से खसरा संख्या 373 म0 1.905 हे0भूमि प्रस्तावित की गयी है, जिसमे से 0.040 हे0 भूमि को कम करते हुये खसरा सं0 373 म0 1.865 हे0 भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वनप्रभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/12-1 दिनांक 28.09.2017 के द्वारा आवंटित भूमि अलग-अलग खण्डों मे विभक्त है, जो व्यवहारिक रूप से वृक्षारोपण हेतु उपयोगी नही है के कम में प्राप्त पत्र के अनुसार एक जगह में भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अत: उप जिलाधिकारी, पुरोला एवं तहसीलदार मोरी से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त ग्राम जिवाणू पट्टी गड़ूगाड तहसील मोरी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3) में दर्ज भूमि खाता संख्या 18 खसरा संख्या 373 म0 रकबा 1.865 हे0, खसरा संख्या 393 म. रकबा 6.600 हे0, खसरा सं0 391 म. रकबा 0.035 हे0 कुल रकबा 8.500 हे0 भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने के आदेश देने की कृपा करें ।

ह0/-
( डॉ आशीष चौहान )
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

93(IV)

# कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 68 (ग्यारह)-03 (2016-17) दिनांक 7 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
2- तहसीलदार, मोरी ।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।
4- प्रबन्ध निदेशक उपाकालि, वि0का0पि0ग0वि0 ऊर्जा भवन देहरादून।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
07/11/17

23(V)